Public Notice CPS-01/2022

सी.पी.एस. खेती पद्धति के संबंध में अफीम कृषकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

फसल वर्ष 2021–22 में सी.पी.एस. उत्पादन हेतु अफीम काश्त के लाइसेंसधारी समस्त अफीम कृषकों, ग्राम लम्बरदारों एवं समस्त संबंधित जनसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार वर्तमान फसल वर्ष 2021–22 में सी.पी.एस. उत्पादन हेतु जारी किये गये अफीम काश्त के लाइसेंसों के अन्तर्गत बोई गई समस्त अफीम फसल की देख–रेख, कटाई तथा बिना चीरा लगे डोड़ाचूरा के खरीद की प्रकिया निम्नानुसार की जावेगीः–

1. अफीम फसल के कटाई हेतु तैयार हो जाने के पश्चात् अफीम खेत का केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित हो जाने के पश्चात कि अफीम फसल में चीरा नहीं लगाया गया है केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी तथा ग्राम लम्बरदार की उपस्थिति में लाइसेंसधारी अफीम कृषक अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि अफीम फसल के समस्त अफीम डोड़ों **(Capsules)** को 8 इंच तना अथवा डन्ठल के साथ तोड़कर खेत के एक स्थान पर एकत्रित करेगा।

2. तत्पश्चात् लाइसेंसधारी अफीम कृषक अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा समस्त साबुत अफीम डोड़ों **(Capsules)** को उनके 8 इंच तना अथवा डन्ठलों सहित का उचित स्थान पर सुरक्षा पूर्वक भण्डारण किया जायेगा तथा अफीम डोड़ों **(Capsules)** को बिना तोड़े अथवा बिना चूर–चूर किये हुए पोस्तदाना को अलग किया जायेगा। अफीम डोड़ों के उपरी भाग पर नुकीली चीज से छेद कर पोस्तादाना निकाला जा सकता है। शेष बचे हुए अफीम डोड़ों एवं उनके 8 इंच तना अथवा डन्ठलों को बोरों **(Gunny bags)** में पैक किया जायेगा।

3. तौल हेतु नियत तिथि पर लाइसेंसधारी अफीम कृषक अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि बोरों **(Gunny bags)** में पैक किया गया पोस्तदाना निकला हुआ समस्त अफीम डोड़ों एवं उनके 8 इंच तना अथवा डन्ठलों को तौल केन्द्र पर लेकर आयेगा जिसका मौके पर ग्राम लम्बरदार की उपस्थिति में केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी द्वारा निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी डोड़े में चीरा नहीं लगा है तथा उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं किया गया है।

4. निरीक्षण के पश्चात् तौल केन्द्र पर केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी द्वारा ग्राम लम्बरदार तथा लाइसेंसधारी अफीम कृषक अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष 500 ग्राम वजन के अफीम डोड़ों **(Capsules)** उनके 8 इंच तना अथवा डन्ठलों सहित का सेम्पल निकाला जायेगा तथा मौके पर सील बन्द कर उसके उपर आवश्यक प्रविष्टि अंकित कर केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी, ग्राम लम्बरदार तथा लाइसेंसधारी अफीम कृषक अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपने–अपने हस्ताक्षर/ अंगूठा निशानी बनाये जायेगें।

5. सेम्पल निकालने के पश्चात् तौल केन्द्र पर केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी द्वारा ग्राम लम्बरदार तथा लाइसेंसधारी अफीम कृषक अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष समस्त अफीम डोड़ों एवं उनके 8 इंच तना अथवा डन्ठलों को उचित पैकिंग सामग्री में पैक कर उसका लेवलिंग एवं सीलिंग किया जायेगा। पैक किये हुए अफीम डोड़ों एवं उनके 8 इंच तना अथवा डन्ठलों का वजन तौल केन्द्र पर केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा विभागीय रिकार्डों में वजन का नियमानुसार इन्द्राज करने के पश्चात् भारत सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार कृषक अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि को 100 प्रतिशत भुगतान कर दिया जायेगा।

6. संबंधित जिला अफीम अधिकारी द्वारा समस्त सीलबन्द सेम्पलों एवं सीलबन्द बिना चीरा लगे अफीम डोड़ों को उनके 8 इंच तना अथवा डन्ठलों के साथ के पैकेटों को शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना को कड़ी निगरानी एवं पर्याप्त सुरक्षा के तहत भेज दिया जायेगा।

उप नारकोटिक्स आयुक्त
नीमच/ कोटा/ लखनऊ